राजस्थान विश्वविद्यालय,

जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांकः शैक्षणिक–द्वितीय/2024/4857 दिनांकः 04.04.2024

–: आवश्यक दिशा निर्देश :–

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय,
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त अकादमिक (डिग्री) महाविद्यालय,

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु आपके महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थायी सम्बद्धता अवधि में अभिवृद्धि जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है, इस प्रयोजनार्थ निम्नानुसार निर्देश प्रदान किए जाते हैं, जिनकी दिनांक 30.04.2024 तक अनिवार्य रूप से पालना किया जाना सुनिश्चित करने के पश्चात तदनुसार दिनांक 08.05.2024 तक पालना रिपोर्ट विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करें:–

1. समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय नियामक संस्थाओं (NCTE, RCI, AICTE etc.)/राज्य सरकार/राजस्थान विश्वविद्यालय (जो भी लागू हो) द्वारा निर्धारित किए गए प्रावधानानुसार नियमित चयन प्रक्रिया के तहत महाविद्यालयों में संचालित किए जा रहे समस्त पाठ्यक्रमों के अध्यापन कार्य हेतु समुचित संख्या में दक्ष/योग्य (Qualified) शिक्षकों की उपलब्धता दिनांक 30.04.2024 तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित करते हुये इस बाबत दिनांक 08.05.2024 तक शपथ पत्र मय समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किये जाये।
2. यदि किसी महाविद्यालय में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत योग्य/दक्ष शिक्षकों का चयन एवं उनकी नियुक्ति किया जाना सुनिश्चित करेंगे ताकि अध्ययनरत विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य निर्धारित मानदण्डानुसार सम्पादन किया जाना सुनिश्चित किया जा सके, इस परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में विश्वविद्यालय अध्यादेश 68 तथा 68–ए के अनुसार एक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे, साथ ही राज्य सरकार/केन्द्रीय नियामक संस्थाओं (NCTE, RCI, AICTE etc.)/राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार संबंधित महाविद्यालय में समस्त अकादमिक एवं भौतिक संसाधनों की उपलब्धता अनिवार्य रूप से इस परिपत्र द्वारा निर्धारित की गई नियत तिथि तक सुनिश्चित की जाए, तदनुसार इस आशय का भी शपथ–पत्र दिनांक 08.05.2024 तक प्रस्तुत किया जाये।
3. जिन महाविद्यालयों में शोध केन्द्र (Research Centres) स्थापित है, उन महाविद्यालयों द्वारा शोध केन्द्रों में पर्याप्त संख्या में नियत तिथि तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/विश्वविद्यालय नियमान्तर्गत योग्य एवं अनुमोदित शोध निदेशकों की सत्यापित सूची दिनांक 08.05.2024 तक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।
4. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के नोटिफिकेशन दिनांक 28.11.2014 2014 के बिन्दु संख्या 10 (2)के अंतर्गत निर्धारित किये गये निम्नलिखित प्रावधान का अनुसरण शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों द्वारा किया जाना आवश्यक है:–

   "संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टॉफ को संबंधित सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा निर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को चैक द्वारा अथवा बैंक इस प्रयोजनार्थ के लिए विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जायेगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन के भुगतान कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकॉर्ड रखेगा जिसके विवरण स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दिये जा सकते हैं और जिनका परिषद अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।"
5. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत पूर्ण पारदर्शिता के साथ निर्धारित संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना एवं तदनुसार चयनित तथा कार्यरत शिक्षकों का विश्वविद्यालय से अनुमोदन करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही अनुमोदित शिक्षकों की सूची नियत तिथि तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही कार्यरत शिक्षकों को किए जा रहे नियमित एवं नियामान्तर्गत वेतन भुगतान का वित्तीय वर्ष 2023–24 (1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक) का बैंक स्टेटमेंट {संस्था एवं व्यक्तिगत शिक्षक के बैंक खातानुसार (Salary Bank Account) जो संबंधित बैंक प्रबंधक एवं प्राचार्य से प्रमाणित हो} मय औपचारिक वेतन पत्रक (Salary Slip/Statement) विश्वविद्यालय को दिनांक 08.05.2024 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे।

contd..

6. सभी महाविद्यालय छात्रहितार्थ/सूचनार्थ अपनी स्वयं की वेबसाइट निर्माण एवं संचालन किया जाना तथा पूर्व में बनी हुई वेबसाइट को अपडेट किया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही चयनित एवं अनुमोदित शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की सूची भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित नियम, प्रक्रिया एवं मानदण्डानुसार महाविद्यालय में उपलब्ध विषयवार प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, कम्प्यूटर लैब, भूमि एवं भवन, सेमिनार हॉल, प्लेग्राउण्ड, साईन बोर्ड, कक्षा कक्ष, शैक्षणिक भौतिक व अन्य सुविधाओं से संबंधित जियो–टेग्ड फोटोज (Geo-tagged Photos) को महाविद्यालय वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना तथा तत्संबसंधित सूचनाएँ वेबसाइट पर दिनांक 30.04.2024 तक अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाना एवं तदनुसार विश्वविद्यालय को दिनांक 08.05.2024 तक विस्तृत रूप से वेबसाइट से डाउनलोड किये हुये उक्त सभी सुविधाओं के जियो–टेग्ड फोटोज (Geo-tagged Photos) से संबंधित दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

7. महाविद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों का संबंधित पाठ्यक्रमवार सम्पूर्ण ब्यौरा यथा उनके समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेज (कक्षा–10, 12, स्नातक, स्नातकोत्तर, पी.एच.डी., नेट एवं अन्य) कार्य अनुभव, विश्वविद्यालय से अनुमोदन की स्थिति मय उनके फोटोग्राफ्स आदि महाविद्यालय वेबसाइट पर दिनांक 30.04.2024 तक अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाना तथा वेबसाइट से डाउनलोडिड संदर्भित दस्तावेजों की हार्डकॉपी विश्वविद्यालय को दिनांक 08.05.204 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

8. महाविद्यालयों द्वारा स्थापित की गई वेबसाइट का टेक्नीकल लिंक विश्वविद्यालय को नियत तिथि तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि इसे विश्वविद्यालय वेबसाइट पर छात्र हितार्थ प्रदर्शित किया जा सके एवं संबंधित महाविद्यालय के वेबसाइट लिंक के माध्यम से विद्यार्थी संबंधित महाविद्यालय में उपलब्ध समस्त शैक्षणिक एवं अन्य संसाधनों से अवगत हो सके।

9. समस्त महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/केन्द्रीय नियामक संस्थाओं (NCTE, RCI, AICTE etc.)/राज्य सरकार/राजस्थान विश्वविद्यालय (जो भी लागू हो) द्वारा निर्धारित मानदण्डानुसार समुचित भौतिक एवं अन्य संसाधनों की दिनांक 30.04.2024 तक महाविद्यालय में उपलब्धतता सुनिश्चित की जाये तथा तदनुरूप विश्वविद्यालय को दिनांक 08.05. 2024 तक अनिवार्य रूप से तथ्यात्मक रूप से अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10. समस्त महाविद्यालय यह भी सुनिश्चित करेंगें कि उनके महाविद्यालय में संचालित होने वाले प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय नियमानुसार अक्षय निधि बाबत (Towards Endowment Fund) निर्धारित राशि की एक संयुक्त एफ.डी.आर (जो आद्येतन है) जो महाविद्यालय द्वारा बनवाई गई है, पूर्ण विवरण सहित सत्यापित प्रतिलिपियाँ दिनांक 08.05.2024 तक विश्वविद्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करे।

समस्त महाविद्यालय उपरोक्तानुसार जारी किए गए समस्त निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हुए पालना रिपोर्ट मय समस्त आवश्यक संदर्भित दस्तावेजों एवं शपथ पत्रों के साथ शैक्षणिक–द्वितीय अनुभाग को दिनांक 08.05.2024 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें ताकि तदनुसार शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अस्थायी सम्बद्धता अवधि में अभिवृद्धि पर विचार किया जा सके।

भवदीय,

(अवधेश सिंह)
कुलसचिव

क्रमांकः शैक्षणिक–द्वितीय/2024/4858–4861 दिनांकः 04.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलपति/कुलसचिव, राज. वि.वि. जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।

3.4.2024

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव
(शैक्षणिक द्वितीय)